प्रेषक,

निदेशक(उ0शि0)
डिग्री विकास अनुभाग,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

सेवा में,

कुल सचिव,
(1)समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय/समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

कुलसचिव/निदेशक/ प्राचार्य
(2)समस्त तकनीकी/व्यावसायिक उच्च शिक्षण संस्थान, उ0प्र0।

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
(3)शासकीय/अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उ0प्र0।

(4)समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।

पत्रांक : डिग्री विकास/ 16927–41 /2017–18 दिनांक – 12.01.2018

विषय : **24 जनवरी, 2018 को "उत्तर प्रदेश दिवस" मनाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0 24/सत्तर–3–2018 दिनांक 03.01.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें जिसके द्वारा मुख्यसचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी बैठक दिनांक 20.12.2017 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रस्तर–9 में दिये गये निर्णय के अनुपालन में उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर विस्तृत रूप रेखा तैयार करने तथा कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 20 दिसम्बर 2017 में उच्च शिक्षा विभाग, से अपेक्षा की गयी है कि उत्तर प्रदेश में विकास की संभावनाएँ विषय से छात्र/छात्राओं को जोड़ते हुए तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए Online Presentation के द्वारा 11 उपर्युक्त विषयों पर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयो के विद्यार्थियों के मध्य जोन/राज्य स्तर पर प्रतियोगिता के द्वारा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को मा0 मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा रू0 50000/–रू0 25000/– तथा रू0 15000/– की धनराशि से पुरस्कृत कराया जायेगा। इस कार्य के लिए आई0आई0टी0 कानपुर के द्वारा नॉलेज पार्टनर के रूप में सूचना विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है। उच्च शिक्षाविभाग/माध्यमिक शिक्षाविभाग विद्यार्थियों/प्रतिभागियों के Online participation/Presentation में आई0आई0टी0 कानपुर को सहयोग देंगे। आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा छात्र/छात्राओं से ऑनलाइन विषय प्राप्त करने के लिए वेबसाइट तैयार की गयी हैं।

इस कार्यक्रम के सफल कियान्वयन हेतु आई0आई0टी0 कानपुर को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नॉलेज पार्टनर के रूप में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है। आई0आई0टी0 कानपुर के बेवसाइट www.yuvasangam.in पर 11 उपर्युक्त विषयों के सम्बन्ध में मॉडल प्रेजेन्टेशन हेतु जानकारी उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की कठिनाई निवारण हेतु आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा तैयार ईमेल contact@yuvasangam.in पर संपर्क किया जा सकता है।

उपरोक्त कार्यकम के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाई निवारण तथा कार्यकम के को–आर्डिनेशन हेतु डॉ0 प्रीति गौतम, संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद, के मो0 नंबर–9411036685,पर तथा डा0 इन्दु प्रकाश सिंह के मो0 9415262299, एवं ईमेल आई0डी0–dripsingh22@gmail.com, info@dheup.com पर संपर्क किया जा सकता है।

छ: चिन्हित जोन–नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा गोरखपुर परिक्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई होती हैं, तो उपरोक्त परिक्षेत्र के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से सम्पर्क कर कठिनाई का निवारण कर सकते है।

Director Sanskriti
Dr. N.K. Pandey

REGISTRAR
Sign. 15/1/18

कुलसचिव, समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविलय कुलसचिव/निदेशक /प्राचार्य, समस्त तकनीकी/व्यावसायिक उच्च शिक्षण संस्थान, समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, शासकीय/अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, से अपेक्षा की जाती है कि पत्र के साथ संलग्न कार्ययोजना जो उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद, द्वारा तैयार की गयी है, तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के साथ नॉलेज पार्टनर के रूप में आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा तैयार की गई है, का अनुपालन सुनिश्चित कराये। उपरोक्त कार्यक्रम में छात्र/छात्राओं के मध्य अभियान चलाकर प्रचारित/प्रसारित करें, तथा ज्यादा से ज्यादा ऑन–लाइन Online participation/Presentation हेतु अपनी शिक्षण संस्थान द्वारा आवश्यक उपकरण तथा प्राशीक्षक यथासंभव उपलब्ध कराये जिससे शासन द्वारा प्रस्तावित योजना को मूर्त रूप दिया जा सके। इस कार्यक्रम में उ0प्र0 में निवास करने वाले (15 वर्ष से 35 वर्ष) के सभी युवा तथा छात्र/छात्राएँ योग्य है।

कार्यक्रम के विषय में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी, जैसे पुरस्कार राशि, तथा आयोजन स्थल के सम्बन्ध में www.yuvasangam.in पर संपर्क करके प्राप्त किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करके कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करने का कष्ट करें। प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के शीर्ष प्राथमिकता के कार्य से सम्बन्धित हैं, अतः व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

कृपया अविलम्ब कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोक्त–

भवदीय

Gautam

डा0 (प्रीति गौतम)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक, (उ0शि0)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन–डिग्री विकास/ /उसी तिथि को,

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

(2) प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उ0प्र लखनऊ।

(3) विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(4) सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नॉलेज पार्टनर आई0आई0टी0 कानपुर के प्रतिनिधि को उनके द्वारा दिये गये ईमेल नम्बर– contact@yuvasangam.in तथा chirag26293@gmail.com पर अवगतार्थ।

(5) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आने–वाले समस्त केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी/व्यावसायिक, शासकीय, अशाकीय स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में अपने स्तर से भी इस कार्यक्रम को प्रचारित/प्रसारित करें, तथा कार्यक्रम के कियान्वयन में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(6) डा0 इन्दु प्रकाश सिंह, प्रवक्ता/सहा0 प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर भदोही, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर पर उपरोक्त कार्यक्रम का समन्वय एवं अनुश्रवण कर के समयबद्व अनुपालन सुनिश्चित कराये।

डा0 (प्रीति गौतम)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक, (उ0शि0)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

24 जनवरी, 2018 को ''उत्तर प्रदेश दिवस'' मनाये जाने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर विस्तृत रूप–रेखा/कार्यवाही का विवरण–

उत्तर प्रदेश में विकास की सम्भावनायें विषय से छात्र–छात्राओं को जोड़ते हुए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए Online Presentation के द्वारा 11 उपर्युक्त विषयों पर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्य जोन/राज्य स्तर पर प्रतियोगिता के द्वारा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को मा0 मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा रू0 50000/–रू0 25000/– तथा रू0 15000/– की धनराशि से पुरस्कृत कराया जायेगा। इस कार्य के लिए आई0आई0टी0 कानपुर के द्वारा नॉलेज पार्टनर के रूप में सूचना विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग विद्यार्थियों/प्रतिभागियों के Online participation/Presentation में आई0आई0टी0 कानपुर को सहयोग देंगे। आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा छात्र/छात्राओं से ऑनलाइन विषय प्राप्त करने के लिए वेबसाइट तैयार की गयी हैं।

कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों– केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त शासित उच्च शिक्षण संस्थानों, शासकीय, अशासकीय, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों, व्यावसायिक एवं तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र प्रेषित करके विभागीय वेबसाइट पर भी सूचना प्रदर्शित की जायेगी। www. dheup.com पर लिंक के रूप में–नॉलेज पार्टनर आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा तैयार की गयी बेवसाइट www.yuvasangam.in प्रदर्शित की जायेगी, जिससे छात्र/छात्राएँ 11 दिये गये विषयों पर ऑनलाइन प्रेजेन्टेशन कर सके। मॉडल प्रेजेन्टेशन सहयोग हेतु उपलब्ध रहेगा।

उच्च शिक्षा निदेशालय में दिनांक 09.01.2018 को अपराह्न 1 बजे से 4 बजे के मध्य, ''24 जनवरी को यू0पी0 दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में''–विषयक बैठक आहूत की गयी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0 शासन को नॉलेज पार्टनर के रूप में सहयोग प्रदान कर रहे आई0आई0टी0 कानपुर के प्रतिनिधि तथा युवा संगम कार्यक्रम से जुड़े श्री चिराग अग्रवाल, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद में संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, डा0 प्रीति गौतम, नोडल अधिकारी, (24 जनवरी 2018 यू0पी0 दिवस कार्यकय) तथा डा0 इन्दु

प्रकाश सिंह प्रवक्ता/सहा0प्रोफेसर दर्शनशास्त्र, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर भदोही ने विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में प्रतिभाग किया, तथा विस्तृत कार्ययोजना पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद में को–आर्डिनेटर के रूप में डा0 इन्दु प्रकाश सिंह प्रवक्ता/सहा0प्रोफेसर दर्शनशास्त्र, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर भदोही, को नामित करते हुए उनके नाम की संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही प्रथम चरण– प्रतियोगिता तीन चरणों में आयोजित की जायेगी, जिसमें प्रथम चरण में आनलाइन रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने तथा छात्र/छात्राओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु विभाग द्वारा प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

कार्यवाही द्वितीय चरण– –प्रतियोगिता के द्वितीय चरण में क्षेत्रीय सम्मेलन हेतु उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों मे विभाजित किया गया है। क्षेत्रीय सम्मेलन नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा गोरखपुर में आयोजित किया जाना है। क्षेत्रीय सम्मेलनों के कियान्वयन में सहयोग प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा गोरखपुर को क्षेत्रीय नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो इस कार्यकम हेतु उपर्युक्त संस्थान, उपकरण एवं अन्य व्यवस्था को उपलब्ध कराने मे सहयोग प्रदान करेगें तथा मुख्यालय स्तर पर नामित नोडल अधिकारी तथा को–आर्डिनेटर के साथ समन्वय स्थापित करेगें। 6 जोन हेतु नामित क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों द्वारा समय–समय पर शासन द्वारा दिये गए निर्देशानुसार कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया जायेगा। नॉलेज पार्टनर के रूप में आई0आई0टी0 कानपुर के प्रतिनिधियों को ई–मेल नम्बर तथा दूरभाष नम्बर उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिससे समन्वय स्थापित हो सके।

कार्यवाही तृतीय चरण– समापन महा सम्मेलन के सकुशल सम्पन्न कराने हेतु नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय नोडल अधिकारी तथा सम्पूर्ण कार्यकम के को–आर्डिनेशन हेतु नामित को–आर्डिनेटर उपस्थित रहेगें तथा सम्पूर्ण कार्यकम मे समन्वय बनाते हुए सहयोग प्रदान करेगें।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों– केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त शासित उच्च शिक्षण संस्थानों, शासकीय, अशासकीय, स्ववित्तपोषित, महाविद्यालयों, व्यावसायिक एवं तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों को, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों, नॉलेज पार्टनर आई0आई0टी0 कानपुर तथा उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रचार–प्रसार तथा पत्र व्यवहार किया जायेगा। शासन को कृतकार्यवाही से अवगत कराया जायेगा।

कार्यक्रम के आयोजन में तिथि एवं समय से सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने पर विभागीय बेवसाइट तथा पत्र व्यवहार द्वारा अवगत कराया जायेगा।

युवा संगम

सुशासन ने लोगों को विकास की प्रक्रिया के केंद्र में ला दिया है। भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। भारत के युवा, जो कुल जनसंख्या का 35% हिस्सा हैं, समाज का सबसे जीवंत और गतिशील हिस्सा हैं और लोकतंत्र व सुशासन में उनकी भागीदारी को कम करके नहीं आंका जा सकता है।

युवाओं के पास उर्वर और उत्साही मन होता है जिसके जरिए उनके अंदर ताजा और अभिनव विचार आते हैं। यही नहीं, उनके पास आमूल-चूल परिवर्तन लाने की शक्ति भी है। आधुनिक टेक्नॉलजी के आगमन के साथ ही युवाओं से जुड़ने के माध्यमों में वृद्धि हुई है। हालांकि, आज जिस बात की कमी है, वह है उनके लिए एक समर्पित प्लेटफार्म, जिसके माध्यम से वे प्रदेश के नेतृत्व के साथ अपने विचारों को नियमित रूप से साझा कर सकें।

युवा संगम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सार्थक बातचीत के लिए एक साझा मंच प्रदान कर उन्हें प्रदेश के समक्ष मौजूद 11 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों के अभिनव समाधान को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह समाधान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए जाने योग्य होने चाहिए।

प्रतिभागियों को 5-5 की टीम में भाग लेना होगा। प्रत्येक टीम का एक टीम लीडर होना चाहिए जो संपर्क का एकमात्र बिंदु होगा। केवल टीम लीडर को प्रतियोगिता के लिए रजिस्टर करना है।

प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित की जा रही है:

१. ऑनलाइन प्रतियोगिता:

प्रतिभागी टीम एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के रूप में किसी एक विषय पर अपना समाधान प्रस्तुत करेगी। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के उन सभी निवासियों (उम्र 15 से 35 वर्ष) व उत्तर प्रदेश में स्थित कॉलेज के छात्रों के लिए खुली है जिनकी उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच है।

२. क्षेत्रीय सम्मेलन:

प्रतियोगिता हेतु उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में से शीर्ष 10 टीमों (प्रत्येक विषय में से एक) का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया नॉलेज पार्टनर के सहयोग

www.yuvasangam.in
contact@yuvasangam.in

से पूरी की जाएगी। ऑनलाइन प्रतियोगिता में प्रत्येक क्षेत्र से 10 शीर्ष चयनित टीम 6 क्षेत्रीय सम्मेलनों में अपने समाधान राज्य के नेतृत्व वर्ग, वरिष्ठ अधिकारी और विषय से संबंधित विशेषज्ञ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्षेत्रीय सम्मेलन नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में आयोजित किए जाएंगे।

३. समापन महासम्मेलन:

शीर्ष 10 टीमों (प्रत्येक विषय में से एक) का चयन क्षेत्रीय सम्मेलनों से किया जाएगा। वे प्रतियोगिता के फाइनल के अवसर पर लखनऊ में आयोजित होने वाले समापन महासम्मेलन में प्रदेश लीडरशिप के समक्ष अपने समाधान प्रस्तुत करेंगे। प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

पुरस्कार:

विजेता टीम प्रति विषय INR 50,000 (कुल 11*50,000 = 5,50,000)
उप-विजेता टीम प्रति विषय INR 25,000 (कुल 11*25,000 = 2,75,000)
तृतीया टीम प्रति विषय INR 15,000 (कुल 11*15,000 = 1,65,000)

योग्यता:

यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जिनकी उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच है तथा यूपी के कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों (उम्र 15 से 35 वर्ष) के लिए खुली है। क्षेत्रीय सम्मेलनों के लिए चुनी गई सभी टीम के सदस्यों की पात्रता की पुष्टि उनके पहचान और अधिवास दस्तावेजों के सत्यापन के बाद की जाएगी। यदि कोई भागीदार अयोग्य पाया जाता है, तो संबंधित टीम को प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित किया जाएगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए दिशानिर्देश:

- प्रत्येक टीम में 5 सदस्य होने चाहिए।
- प्रत्येक टीम में एक टीम लीडर होना चाहिए, सिर्फ उसी से संपर्क किया जाएगा।
- केवल टीम लीडर को प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। टीम के किसी अन्य सदस्य को रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है।

- एक व्यक्ति कई टीमों के सदस्य के रूप में भाग ले सकता है, लेकिन एक से अधिक टीमों का टीम लीडर नहीं हो सकता है।
- एक ही टीम कई विषयों के लिए समाधान प्रस्तुत कर सकती है, हालांकि इसके लिए टीम को एक अलग टीम लीडर के साथ कई बार स्वयं को रजिस्टर करना होगा।
- टीम लीडर द्वारा रजिस्ट्रेशन के दौरान निम्नलिखित जानकारी देना आवश्यक है:
    - टीम लीडर की जानकारी
    - कॉलेज का नाम, यदि लागू हो
    - टीम लीडर का जिला
    - पसंदीदा विषय
    - टीम के सदस्यों की जानकारी
- रजिस्ट्रेशन के समय में टीम लीडर को सत्यापन का ईमेल भेजा जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद टीम के सभी सदस्यों को ईमेल से इसकी सूचना भेजी जाएगी।

प्रस्तुति (presentation) के लिए दिशानिर्देश:

टीमों द्वारा तैयार की गई प्रस्तुति को नीचे बताए गए प्रारूप में तैयार किया जा सकता है। कृपया इसे एक दिशानिर्देश के रूप में ही समझें, नए विचारों का हमेशा स्वागत है।

- समस्या
    - विस्तार
    - कारण
    - कोई खास कारण चुनने की वजह, अगर चुना गया है
- प्रस्तावित समाधान
    - प्रस्तावित समाधान
    - मौजूद विकल्प (विकल्पों) से तुलना
    - समाधान की अच्छाइयां और कमजोरियां
- समाधान का क्रियान्वयन
    - शामिल किए गए महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रत्येक चरण में हितधारक शामिल
- मौजूदा सरकारी अवसंरचना का लाभ लेना
- प्रत्येक चरण में आवश्यक वित्तीय और मानव संसाधन
- धन के प्रस्तावित स्रोत

– समाधान का प्रभाव
- समाधान के प्रभाव को मापने के लिए मानदण्ड
- समाधान की मापनीयता
- समाधान की स्थिरता
- उपयुक्त निगरानी (monitoring) यंत्ररचना

– चुनौतियां और उनका निराकरण
- प्रस्तावित समाधान के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों की पहच करना
- प्रस्तावित समाधान की कानूनी, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियां, यदि कोई हो
- पहचानी गई चुनौतियों को कम करने के उपाय

– परिशिष्ट
- सहायक दस्तावेज और अन्य स्रोत
- संदर्भ और उद्धरण

प्रेजेंटेशन जमा करने के लिए दिशानिर्देश:

– प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में जमा करना अनिवार्य है

– प्रेजेंटेशन की भाषा हिन्दी या अंग्रेजी होगी

– प्रेजेंटेशन फ़ाइल की साइज़ 2 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए

– प्रेजेंटेशन में 10 मुख्य स्लाइड से अधिक नहीं होनी चाहिए। संदर्भ, अनुलग्नकों, और शीर्षक स्लाइड को 10 मुख्य स्लाइड में नहीं गिना जाएगा।

– प्रेजेंटेशन में फांट (font) साइज़ 12 से कम नहीं होना चाहिए।

– प्रेजेंटेशन 'कैलिबरी' या 'टाइम्स न्यू रोमन' फांट में ही होना चाहिए।

- प्रेजेंटेशन जमा करने के बाद यदि कोई संशोधन हो तो जमा करने की समयसीमा से पहले संशोधित प्रेजेंटेशन दोबारा जमा किया जा सकता है।

निर्णय के मानदंड:

- प्रस्तुतियों (entries) को पूरे उत्तर प्रदेश में 6 क्षेत्र में बांटा जाएगा:

पश्चिम	ब्रज	अवध	कानपुर बुंदेलखंड	गोरखपुर	काशी
अमरोहा	आगरा	अम्बेडकर नगर	औरैया	आजमगढ़	इलाहाबाद
बागपत	अलीगढ़	बहराइच	बांदा	बलिया	अमेठी
बिजनौर	बरेली	बलरामपुर	चित्रकूट	बस्ती	भदोही
बुलंदशहर	बदायूं	बाराबंकी	इटावा	देवरिया	चंदौली
गौतम बुद्ध नगर	एटा	फैजाबाद	फर्रुखाबाद	गोरखपुर	गाजीपुर
गाजियाबाद	फिरोजाबाद	गोण्डा	फतेहपुर	कुशीनगर	जौनपुर
हापुड़	हाथरस	हरदोई	हमीरपुर	महराजगंज	कौशाम्बी
मेरठ	कासगसंज	लखीमपुर खीरी	जालौन	मऊ	मिर्जापुर
मुरादाबाद	मैनपुरी	लखनऊ	झांसी	संतकबीरनगर	प्रतापगढ़
मुजफ्फरनगर	मथुरा	रायबरेली	कन्नौज	सिद्धार्थनगर	सोनभद्र
रामपुर	पीलीभीत	श्रावस्ती	कानपुर देहात		सुलतानपुर
सहारनपुर	शाहजहांपुर	सीतापुर	कानपुर नगर		वाराणसी
संभल		उन्नाव	ललितपुर		
शामली			महोबा		

- निर्णय की प्रक्रिया नॉलेज पार्टनर के सहयोग से पूरी की जाएगी।
- सभी प्रस्तुतियों का निर्णय उनकी रचनात्मकता/ नवीनता, व्यवहार्यता और समाधान । स्केलेबिलिटी के आधार पर किया जाएगा।
- क्षेत्रीय सम्मेलनों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में से 10 टीमों (हर विषय से एक) का चयन कि जाएगा।

कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ–226007

सन्दर्भ संख्या : 18178–238

दिनांक : 29/5/2015

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि चन्द्र दर्शन के अनुसार शबेबरात दिनांक 02.06.2015 को मनायी जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में दिनांक 03.06.2015 के स्थान पर दिनांक 02.06.2015 को लखनऊ विश्वविद्यालय मे अवकाश घोषित किया जाता हैं।

28/5/15

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या .... दिनांक...............................

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रतिकुलपति को प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ल0वि0वि0।
4. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।
5. चीफ प्रोवोस्ट/प्रोवोस्ट, समस्त छात्रावास, ल0वि0वि0।
6. निदेशक सूचना, जनसम्पर्क एवं प्रकाशन केन्द्र, ल0वि0वि0।
7. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
8. समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, ल0वि0वि0।
9. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
10. प्रभारी रिकार्ड अनुभाग, ल0वि0वि0।

कुलसचिव

लोगों को शौचालयों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि उनकी संस्कृति और संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। पांच राज्यों (इनमें उत्तर प्रदेश भी) के 47% ग्रामीण परिवारों ने कहा कि वे खुले में शौच जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह उनके लिए 'सुखद, आरामदायक और सुविधाजनक' है।

लोगों का रवैया, व्यवहार बदलने और उनको स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए समुदाय को कैसे शामिल किया जा सकता है? स्वच्छता के प्रति अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है?

3. कृषि कल्याण

तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी 2022

भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जिसमें अधिकतर लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर है। हालांकि, इस क्षेत्र में कम और अस्थिर वृद्धि तथा किसानों की कम आय के कारण लोग अब खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जहां 78% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, आज भी कृषि पर निर्भर है। उसका मानव विकास सूचकांक (HDI) में भारत के 23 राज्यों में 18वां स्थान है। यह खेती पर निर्भर लोगों की स्थिति दिखाने के लिए पर्याप्त है, जिनमें से ज्यादातर किसान हैं।

किसान खेती का काम करना जारी रखें, इसके लिए आवश्यक है कि उनकी आय अन्य समान नौकरियों से भले ही अधिक न हो, लेकिन कम से कम उनके बराबर जरूर हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए काम करने का फैसला किया है। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ? इस संबंध में सरकार द्वारा किस तरह के नीतिगत परिवर्तनों को अपनाना चाहिए ? किसानों को कृषि के अलावा अन्य सहयोगी गतिविधियों को भी अपनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है ?

4. डिजिटल उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए टेक्नॉलजी का इस्तेमाल करना

उत्तर प्रदेश में लोगों तक इंटरनेट की पहुंच बहुत कम है - प्रति 100 व्यक्ति में 17.97 व्यक्ति (सितंबर, 2016 तक)। भारत में कुल मिलाकर लगभग 31% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है (इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशनन ऑफ इंडिया के अनुसार)। डिजिटलीकरण को अपनाने में उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ गया है और इसकी वजह से राज्य को अपनी पूर्ण ई-गवर्नेंस क्षमता तक पहुंचने और कल्याणकारी योजनाओं के ठीक ढंग से लागू होने में बाधा हो सकती है।

दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मोबाइल फोन पहुंच के साथ राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। यह सरकार और जनता के लिए फायदेमंद होगा कि वे कल्याणकारी योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाने और इस प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस संसाधन का इस्तेमाल करें। सरकार से संबंधित जानकारी को आसानी से इस माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। इसके लिए इंटरनेट तक लोगों की पहुंच बढ़ाना और इंटरनेट को सुलभ व सस्ता बनाना आवश्यक होगा।

उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, इंटरनेट का उपयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है ? मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या के बावजूद इंटरनेट का इस्तेमाल करने में बाधा क्या है ? जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए सरकार इस संसाधन का कैसे उपयोग कर सकती है और नौकरशाही व लालफीताशाही को कम करते हुए कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर प्रसार में इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है?

5. पारदर्शी प्रदेश

उत्तर प्रदेश में शासन में शून्य भ्रष्टाचार और पारदर्शिता सुनिश्चित करना

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 16 एशिया प्रशांत देशों में से भारत में रिश्वत की दर सबसे ज्यादा है। 10 भारतीयों में करीब 7 लोगों ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए रिश्वत दी, जबकि जापान में यह दर महज 0.2% थी।

भ्रष्टाचार हमेशा लेनदेन लागत में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता, कम दक्षता और सामाजिक और आर्थिक विकास में असमानता को बढ़ावा देता है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब लोग होते हैं, जो रिश्वत की मांगों को पूरा करने में असमर्थ होते है और उनकी पहुंच सार्वजनिक सेवाओं तक नहीं हो पाती। उत्तर प्रदेश में सीएमएस इंडिया द्वारा 2017 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार,

सर्वेक्षण में शामिल केवल 18% लोगों ने सार्वजनिक भ्रष्टाचार का खुलासा करने के साधन सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के बारे में सुना था।

व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए टेक्नॉलजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ? पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को निचले स्तर तक कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है ? भ्रष्टाचार को रोकने में नागरिक क्या भूमिका निभा सकते हैं ? लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए कि वे आर॰टी॰आई॰ अधिनियम, 2005 के तहत सरकारी सूचनाएं पाने के हकदार हैं, सार्वजनिक जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है ?

6. स्वस्थ घर-परिवार

पूरे उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को सक्षम बनाना

ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट, 2016 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 1346 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। आंकड़ों में यह भी कहा गया है कि मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर के मामले में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड सबसे अधिक है, जहां जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों में 64 की मौत हो जाती है और 35 बच्चे जन्म के बाद एक महीने से ज्यादा जीवित नहीं रहते हैं।

भारत में सभी संचारी और गैर-संचारी बीमारियों से होने वाली मौतों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। आज उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि उपलब्ध प्राथमिक देखभाल सुविधाओं में सुधार करके मृत्यु दर काफी कम की जा सकती है। यह आवश्यक है कि राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति में सुधार किया जाए, क्योंकि सामाजिक इकाई परिवारों के साथ शुरू होती है।

राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के वर्तमान मुद्दे क्या हैं ? प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण और सस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच कैसे सुनिश्चित की जा सकती है ? अस्पतालों में बेहतर डॉक्टरों और दवाओं की उपलब्धता के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए ? सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा को बनाए रखने के लिए टेक्नॉलजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ?

7. सुरक्षित प्रदेश

समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

उत्तर प्रदेश ने लंबे समय तक अपराध और अपराधियों के भारी आघात का सामना किया है, जिससे राज्य के लोगों के बीच भय का माहौल और असुरक्षा पैदा होती है। अकेले 2015 में, यूपी में हिंसक अपराधों के कुल 40,613 मामले दर्ज किए गए (इनमें हत्या के 4700 मामले) जो देश में दर्ज कुल हिंसक अपराधों के 12.1% से अधिक थे। स्पेशल और लोकल लॉ क्राइम के मामले में भी यूपी सबसे आगे रहा, जहां देश में रिपोर्ट किए गए कुल अपराधों में से 58.2% यूपी में हुए।

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाओं और अन्य अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 35,500 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे और बहुत से ऐसे मामले थे जिनमें पीड़ितों ने भय के कारण रिपोर्ट ही नहीं दर्ज कराई या फिर पुलिस ने ही शिकायत दर्ज नहीं की। इसके कारण राज्य में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के प्रति आम लोगों का विश्वास बहुत कम हो गया है, साथ ही इससे राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास भी प्रभावित हो रहा है।

राज्य में पुलिस में कैसे सुधार किया जा सकता है ? पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से नागरिकों के अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है ? अपराध से निपटने के लिए पुलिस और समुदाय के बीच समन्वय में सुधार कैसे लाया जा सकता है ?अपराधों की जांच और समय पर कार्रवाई करने में टेक्नॉलजी का लाभ कैसे उठाया जा सकता है?

8. अंत्योदय से सर्वोदय

राज्य के वंचित और हाशिए पर मौजूद आबादी को सशक्त बनाना

अर्थव्यवस्था के विकास की धीमी दर, समाज के वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों को किसी अन्य चीज की तुलना में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इन वर्गों के लिए आर्थिक विकास के लाभों को उपलब्ध कराने के लिए समावेशी नीतियों को स्वीकार करना आवश्यक है। यह यूपी के मामले में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां लगभग 24% आबादी अनुसूचित जाति से है, जिनमें से 44% से अधिक गरीबी रेखा के नीचे रहती है। इसी प्रकार, 33% से अधिक अन्य परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों की स्थिति भी मानव विकास के संकेतकों पर अत्यंत खराब है जिससे गरीबी को और बढ़ावा मिलता है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए समाज के इन वर्गों को सशक्त बनाने और उन्हें शामिल करने के लिए कदम उठाना होगा। आर्थिक विकास में उनकी उचित भागीदारी हो, इसके लिए टिकाऊ और समावेशी उपायों की आवश्यकता है जो उन्हें लाभदायक रोजगार, स्थायी आय के अवसर और बेहतर सामाजिक सेवाओं तक पहुंचने के साधन उपलब्ध कराए।

विभिन्न मौजूदा योजनाओं के तहत वंचित वर्ग को बेहतर तरीके से लक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं ? सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में इन वर्गों के सामने आने वाली बाधाओं को कैसे दूर करना है ? लाभप्रद गतिविधियों में इन वर्गों की अधिक भागीदारी संभव हो सके, इसके लिए किन नए उपायों की जरूरत है ? सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों में सामाजिक उत्थान कैसे लाया जा सकता है?

9. जन भागीदारी

शासन के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों की भागीदारी

सरकार को अधिक प्रभावी और मैत्रीपूर्ण बनाने में नागरिकों का अनुभव महत्वपूर्ण निमित्त है। ये जरूरी है कि सरकारी प्रक्रियाओं का पुनर्विन्यास इस तरीके से किया जाए कि सरकार और जनता की बातचीत का केंद्र आम आदमी हो जिससे नागरिकों को पर्याप्त सेवा और सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो सके। सिटीजन चार्टर और सार्वजनिक सेवा वितरण कानून की मदद से इन सुविधाओं के मानक तय किए जा सकते हैं। शिकायतों के निस्तारण के लिए सरकारी तंत्र लोगों की प्रतिक्रिया जानने का एक अच्छा तरीका है।

इसी तरह, सरकारी सेवाओं और नीतियों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के रूप में, नागरिकों की आवाज की योजनाओं व नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। नीतियां बनाने में नागरिकों के परामर्श और उनकी सहभागिता का स्तर जितना उच्च होगा, नीतियों की सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

सरकार के साथ नागरिकों की बातचीत सुविधाजनक बनाने में आई.सी.टी.सूचना) , संचार और टेक्नॉलजी (का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ? निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिक- ? हितधारकों को कैसे शामिल किया जा सकता हैविकास योजनाओं को सरकार के विभिन्न स्तरों पर और अधिक भागीदार कैसे बनाया जा सकता है ? प्रशासन को और अधिक अच्छा बनाने में नागरिक किस तरह बदलाव ला सकते हैं?

10. कौशल युवा

कौशल विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार की क्षमता में वृद्धि

देश में बेरोजगारी की दर 4.4% है, जबकि अगस्त 2017 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 6.6% आबादी वर्तमान में बेरोजगार है। हाल के दिनों में आमतौर पर देखने में आया है कि अधिक पढ़े-लिखे लोग, यहां तक कि एम॰ए॰ और पी॰एच॰डी॰ वाले भी, ऐसी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं जिनके लिए उनकी शिक्षा बहुत अधिक है और वे उसके लिए प्रशिक्षित भी नहीं हैं।

महिला मजदूरों की भागीदारी के मामले में उत्तर प्रदेश की दर सबसे कम केवल %11.2है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर %23.8है और छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा %54.3है। यह स्पष्ट है कि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद युवाओं को जागरूकता की कमी के कारण उपलब्ध अवसरों की जानकारी ही नहीं है साथ ही ,साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल की कमी भी है जो आज बाजार में युवाओं को अधिक रोजगार प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक और आगे की शिक्षा के बाद उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है ? युवाओं को उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के लिए कैसे मार्गदर्शन दिया जा सकता है जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार दिलाने में सहायक होगा ? सरकार क्या कदम उठा सकती है जिससे युवाओं को रोजगार के उन अवसरों के बारे में पता चले जो कौशल विकास पाठ्यक्रमों की मदद से उपयुक्त योग्यता प्राप्त करने के बाद उनके पास आएंगे ? सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है ?

11. अपना घर

उत्तर प्रदेश में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना

उत्तर प्रदेश में गरीबों की लगभग 10 लाख झुग्गियां (कुल 999, 091) हैं, जिनके लिए तुरंत आवास की जरूरत है। सरकार का मानना है, 'पर्याप्त आवास उपलब्ध कराना गरीबी कम करने का एक प्रभावी साधन है क्योंकि आवास आम तौर पर परिवारों के लिए सबसे महंगी चीज है।' इस बार की जनगणना के अनुसार, स्लम आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा

स्थान है, जहां 293 कस्बों में करीब 60 लाख की आबादी रहती है। शहरों में रहने वाली करीब 24% गरीब आबादी अस्थायी झुग्गियों में रहती है।

इन सुविधाओं के बिना लोगों की सेहत पर असर पड़ता है और जीवन स्तर में गिरावट आती है और खर्चा बढ़ता है जिसके कारण वे गरीबी से बाहर नहीं आ पाते। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

शहरी नियोजन में नवपरिवर्तन के जरिए भूमि की कमी से कैसे निपट सकते हैं ? योजना में भाग लेने के लिए निजी खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है ? भूमि रिकॉर्ड डेटा को और अधिक विश्वसनीय बनाने में टेक्नॉलजी का लाभ कैसे उठाया जा सकता है ?